न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 92/2026

शिवा पटेल पुत्र हरिश्चन्द्र पटेल

निवासी खडवा, थाना बरसठी, जला जौनपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–225/2024

धारा–191(2), 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (v क) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।

थाना–बरसठी, जिला–जौनपुर।

दिनांक–07.03.2026

अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 26.02.2026 के अनुक्रम में आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक ने किसी को जातिसूचक शब्दों से अपमानित नहीं किया है। आवेदक सम्मानित व्यक्ति है। आवेदक के पास सक्षम जमानतदारान हैं। आवेदक का कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है। आवेदक जमानत पर छूटने के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। आवेदक जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राज गौतम द्वारा थाने पर लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 02.08.2024 को समय करीब 11 बजे दिन विपक्षीगण सत्यम गौतम, शिवा पटेल, राज मौर्या, सचिन, आकाश शर्मा आदि बिना मतलब विवाद पैदा करके उसको मारना शुरू कर दिये, और बीच बचाव करने पहुंचे अन्य लोगों को भी गंदी गंदी गालियां देते हुए लात घूसा से मारे पीटे और जान से मारने की धमकी दिये। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना में अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 225/2024 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (v क) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध इन्हीं दाण्डिक धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

अभियोजन पक्ष को वादी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, परन्तु वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.07 16:45:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव कारित किया और विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा को मारपीट कर उपहति किये जाने, गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी दिये जाने का अपराध कारित किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ एक राय होकर विधिविरूद्ध जमाव कारित करते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया जाना, गाली गलौज दिया जाना, जान से मारने की धमकी दिया जाना तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभियुक्त पर धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 की नोटिस तामील कराई गई है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न किये गये हो। अभियुक्त आज की तिथि तक अन्तरिम जमानत पर था। थाने से आख्या प्राप्त है। थाना आख्यानुसार अभियुक्त का उक्त अभियोग के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 7 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 25,000/–रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त नियत तिथियों पर स्वयं/जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षी/साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 6509